न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 40/14/ दुरूस्ती

गणपतसिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह आयु 79 साल जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (हजफ)

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी/प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक– 20.05.2014

1. आवेदनके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बानूड़ा प.मं. खूडत्र तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 63 रकबा 0.02 है0, 64 रकबा 2.79 है0, 169 रकबा 0.13 है0 किता 3 कुल रकबा 3.04 है0 जो कि वादी/प्रार्थी गणपतसिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारमागढ जिला सीकर की एकल खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त भूमि का वादी/प्रार्थी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रस्तुत है। वादी/प्रार्थी की जाति रावणा राजपूत हैं प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार, दांतारामगढ कार्यालय से दिनांक 26.05.1995 को विधिवत जारी किया गया है। जो रजिस्टर में कम सं. 660/विविध/95 पर दर्ज है। वादी का सही नाम वल्दियत आयु जाति एवं निवास स्थान शीर्षक अनुसार गणपत सिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह आयु 79 साल जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर है जो कि सही है। प्रार्थी की ग्राम बानूड़ा प.मं. खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान ख.नं. 63 रकबा 0.02 है0, 64 रकबा 2.79 है0, 169 रकबा 0.13 है0 किता 3 कुल रकबा 3.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम व जाति गणपत पुत्र श्री बिड़दू जाति दरोगा निवासी ग्राम बानूड़ा दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

चला आ रहा है जो कि गलत हैं प्रार्थी का नाम जाति राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की तरक्की के लिए दस्तावेजी कार्यवाही करे में असमर्थ है जिससे प्रार्थी को आर्थिक क्षति होती आ रही हैं इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना संशोचित एवं सही नाम गणपत सिंह पुत्रश्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा दर्ज करवाने के लिए सक्षम व अधिकारी है। वी अपनी भूमि की उन्नति के लिए ऋण लेने सम्बन्धी जानकारी करने गत करीब 10 दिन पूर्व बैंक में गया तो बैंक वालों ने कहा कि आपका नाम वल्दियत एवं जाति आपकी जमाबंदी एवं आपके जाति प्रमाण पत्रादि में भिन्न है इसलिए आपका नाम व वल्दियत व जाति राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाईये, तत्पश्चात् ही आपको ऋण देने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए वाद कारण ऋण नहीं मिलने सम्बन्धी जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ तब से ही वाद कारण उत्पन्न होकर क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से जारी है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी फरमाया जावें। वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त शुदा कृषि भूमि जो कि ग्राम बानूड़ा प.मं. खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है एवं जिनके वर्तमान खसरा नं. 63 रकबा 0.02 है0, 64 रकबा 2.79 है0, 169 रकबा 0.13 है0 किता 3 कुल रकबा 3.04 है0 में वादी गणपत सिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का नाम वल्दियत व जाति गणपत पुत्र श्री बिड़दू जाति दरोगा निवासी ग्राम बानूड़ा के स्थान पर वाद पत्र के शीर्षक में वर्णितानुसार गणपत सिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बानूड़ा दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

2. वाद/आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 का नाम हजफ करने का निवेदन किये जाने पर नाम हजफ किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ से तथ्यात्क रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा पत्रांक भूअ/14/1125 दिनांक 07.5.2014 द्वारा प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। वाद के समर्थन में गवाह देवेन्द्र सिंह पुत्र दानसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी बानूड़ा तहसील दांतारामगढ के बयान कलमबद्ध किये गये।

3. वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादी की ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख.नं. 63, 64, 169 किता 3 कुल रकबा 3.04 है0 अवस्थित है जिसमें वादी का नाम गणत पुत्र बिड़दू जाति दरोगा अंकित है जबकि वादी के शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे आवासीय पट्टा, मतदाता पहचान

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में वादी का सही नाम गणपतसिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत अंकित है। अतः उक्तानुसार संशोधन फरमाया जावें।

4. हमने वादी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख/दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2066–69 ग्राम बानूड़ा के ख.नं. 63, 64, 169 किता 3 कुल रकबा 3.04 है. में गणपत पुत्र बिड़दू कौम दरोगा अंकित है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार गणपतसिंह पुत्र बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत की अभिशंसा की गई है। वादी के शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेज जैसे आवासीय पट्टा, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में वादी का सही नाम गणपतसिंह पुत्र श्री बिड़दी सिंह जाति रावणा राजपूत अंकित है। उपरोक्त विवरण के अनुसार वादी के राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जमाबंदी संवत् 2066–69 ग्राम बानूड़ा तहसील दांतारामगढ के खाता सं. 56 खसरा नं. 63, 64, 169 किता 3 कुल रकबा 3.04 है0 में गणपत पुत्र बिडदू कौम दरोगा के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र बिड़दीसिंह कौम रावणा राजपूत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ